कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ. 14( )2007 / एफसीए / प्रमुवसं / दिनांक

मुख्य वन संरक्षक,
भरतपुर।

विषयः– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जिला सवाई माधोपुर में मीना कोलेता से गुर्जर कोलेता सड़क निर्माण हेतु 0.20 हैक्टेयर वन भूमि का प्रत्यावर्तन।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर कैम्प कार्यालय, लखनऊ द्वारा पत्रांक 8बी / राज / 06 / 44 / 2008 / एफसी / 78 दिनांक 15–16.02.2021 व राज्य सरकार के पत्रांक प.1(53)वन / 2008Pt. दि. 15.1.2021 (प्रति संलग्न) से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत Diversion of 0.20 ha. of forest land for construction of प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जिला सवाई माधोपुर में मीना कोलेता से गुर्जर कोलेता सड़क निर्माण हेतु 0.20 हैक्टर वनभूमि प्रत्यावर्तन की विधिवत् स्वीकृति जारी की गई हैं। आलौच्य प्रकरण में शर्तो की पूर्ति की पालना सुनिश्चित करावें।

1. राज्य सरकार के उक्त पत्र में अंकित समस्त शर्तो की कड़ाई से पालना की जावें।
2. मुख्य वन संरक्षक स्तर पर राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित शर्तों की पालना का प्रबोधन निरंतर किया जावें।
3. मुख्य वन संरक्षक के क्षेत्र से संबंधित समस्त स्वीकृतियों का पृथक से एक रजिस्टर संधारित किया जावें।

संलग्नः उक्तानुसार।

भवदीय,

(वेंकटेश शर्मा)
अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एंव नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः एफ. 14( )2007 / एफसीए / प्रमुवसं / 727-31 दिनांक 2.3.21

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को राज्य सरकार के उक्त पत्र की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर कैम्प कार्यालय, केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ–226024 ;उ0 प्र0द्ध
2. शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक प.1(53)वन / 2008Pt. दि. 15.1. 2021 के क्रम में।
3. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,(आई.टी.) अरण्य भवन, जयपुर को भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर कैम्प कार्यालय, लखनऊ के आदेश दिनांक 15–16.02.2021(प्रति संलग्न) को राज्य वन विभाग की वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
4. उप वन संरक्षक, सवाई माधोपुर को प्रेषित कर लेख है कि मण्डल से संबंधित समस्त प्राप्त स्वीकृतियों के सम्बन्ध में पृथक से एक रजिस्टर में सूचना संधारित की जावें।
5. अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड बौली (सवाई माधोपुर)।

(भवानी सिंह)
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर

Programmer
Uploaded in FCA wing
DCF (IT)
3/2/2021

भारत सरकार
Government of India
पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर
Integrated Regional Office, Jaipur

कैम्प कार्यालय, केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
Camp Office; Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax-2326696
Email: rocz.lko-mef@gov.in, goimoefrolko@gmail.com

पत्र सं0 8बी/राज0/06/44/2008/एफ.सी./178 दिनाँक: 15.02.2021

सेवा में,
शासन सचिव(वन),
सिविल सचिवालय,
राजस्थान शासन,
जयपुर, राजस्थान।

विषयः प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जिला सवाई माधोपुर में मीना कोलेता से गुर्जर कोलेता सड़क के निर्माण हेतु 0.20 हे0 वन भूमि का प्रत्यावर्तन के संबंध में।

सन्दर्भः संयुक्त शासन सचिव, राजस्थान का पत्रांक–प.1(53)वन/2008 पार्ट, जयपुर, दिनांक – 15.01.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासन सचिव के पत्र सं0 प01(53)वन/2008, दिनांक 03.06.2008 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी गयी थी।

प्रस्तुत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 10.01.2013 द्वारा प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसकी उल्लिखित शर्तों की अनुपालना शासन सचिव, राजस्थान के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत अनुपालना पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करना है कि केन्द्र सरकार विषयांकित परियोजना हेतु 0.20 हे0 संरक्षित वनभूमि के प्रत्यावर्तन एवं बिना वृक्ष पातन की विधिवत् स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:–

1. Legal status of the forest land shall remain unchanged.
2. Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department for plantation of 100 trees with five years maintenance at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.
3. The plantation shall be taken up by the Forest Department in blank spaces on both sides of road at the cost of the user agency.
4. The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.
5. Speed regulating signage will be erected along the road at regular intervals in the Protected Areas/ Forest Areas.
6. The user agency shall provide suitable under / over pass in Protected Area / Forest Area as per recommendations of CWLW / NBWL / FAC / REC.
7. The User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.
8. The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.
9. No labour camp shall be established on the forest land.
10. Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.
11. The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.

12. No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.
13. The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.
14. The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.
15. The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.
16. Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018.
17. Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.

भवदीया,

(प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक(केन्द्रीय) /
क्षेत्रीय अधिकारी, जयपुर

प्रतिलिपि (ई–मेल द्वारा) :–

1. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, अरण्य भवन, झालाना इंस्टिट्यूशनल एरिया, जयपुर, राजस्थान।
2. उप वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, सवाई माधोपुर, राजस्थान।
3. अधिशासी अभियन्ता, सा0नि0वि0 खण्ड, गंगापुर सिटी, राजस्थान।
4. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

15/04/2024
(प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक(केन्द्रीय) /
क्षेत्रीय अधिकारी, जयपुर